जयपुर पुलिस कचरस, स्मैक और एमडी के साथ पांच तस्कर गिरफ्तार

जयपुर, वेब वार्ता। पुलिस कमिश्नरेट की स्पेशल टीम (सीएसटी) ने मादक पदार्थ तस्करों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए शहर के तीन अलग-अलग थाना इलाकों में दबिश दी है। पुलिस ने कुल 1 किलो 344 ग्राम चरस, 10.20 ग्राम स्मैक और 4.84 ग्राम एमडी बरामद कर पांच तस्करों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए नशे की अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 12.50 लाख रुपये बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस आरोपितों से पूछताछ करने में जुटी है।

?पुलिस कमिश्नर सचिन मित्तल ने बताया कि जयपुर शहर में चलाए जा रहे ऑपरेशन क्लीन स्वीप अभियान के तहत सीएसटी ने आमेर, सांगानेर सदर और बगरू पुलिस के साथ मिलकर 1 किलो 344 ग्राम चरस, 10.20 ग्राम स्मैक और 4.84 ग्राम एमडी बरामद कर पांच तस्करों को गिरफ्तार किया है।

? सीएसटी को सूचना मिली कि दिल्ली हाईवे स्थित प्राचीन चामुंडा मंदिर के पास चरस की तस्करी होने वाली है। टीम ने घेराबंदी कर पहल सिंह (43) निवासी नेपाल (हाल निवासी कुल्लू, हिमाचल प्रदेश) को गिरफ्तार किया। उसके कब्जे से 1.344 किलोग्राम चरस बरामद हुई है।

?दूसरी कार्रवाई सांगानेर सदर इलाके में हुई। यहाँ संजीवनी सिटी-ढुंढ्ढ के बाहर से मनीष कुमार सांसी (25) निवासी टोंक को दबोचा गया। पुलिस ने मनीष से 10.20 ग्राम स्मैक और मादक पदार्थ बिक्री की 21 हजार 500 रुपये की नकदी जब्त की है।

पुलिस आयुक्तालय, जयपुर
POLICE COMMISSIONERATE, JAIPUR

?बगरू पुलिस और सीएसटी ने राजस्थान नर्सिंग कॉलेज के सामने संयुक्त कार्रवाई करते हुए महेन्द्र कुमार चौधरी (31) निवासी अजमेर ,विनोद रैगर (27), निवासी अजमेर और गोविन्द सिंह छापरिया (27) निवासी जयपुर ग्रामीण को गिरफ्तार किया। ?इनके पास से 04.84 ग्राम एमडी, 7,370 रुपये नकद, एक लग्जरी कार और एक मोटरसाइकिल बरामद की गई है।

जयपुर पुलिस ने आमजन से नशे के खिलाफ इस अभियान में सहयोग करने की अपील की है। पुलिस का कहना है कि अवैध मादक पदार्थों के कारोबार में शामिल किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा।

खाद्य सुरक्षा टीम ने करवाया 300 किलो मिलावटी पनीर नष्ट

जयपुर, , वेब वार्ता। राज्य सरकार के शुद्ध आहार-मिलावट पर वार अभियान के तहत खाद्य सुरक्षा विभाग ने मिलावटखोरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण राजस्थान डॉ. टी. शुभमंगला के निर्देश पर सीएमएचओ जयपुर द्वितीय की खाद्य सुरक्षा टीम ने झालाना डूंगरी क्षेत्र में 300 किलो मिलावटी पनीर जब्त कर मौके पर ही नष्ट करवाया।

सीएमएचओ जयपुर द्वितीय डॉ. मनीष मित्तल ने बताया कि मिलावटी पनीर की बिक्री की सूचना पर टीम ने शर्मा पनीर भंडार पर छापा मारा। जांच के दौरान दुकान पर पिकअप वाहन से उतारा गया पनीर संदिग्ध पाया गया। पूछताछ में दुकान मालिक नमोनारायण स्वामी ने बताया कि उसने यह पनीर 200 रुपये प्रति किलो की दर से खरीदा था।

दुकान मालिक ने स्वीकार किया कि शादियों के सीजन में सस्ते पनीर की अधिक मांग रहती है, जिसे पूरा करने के लिए दूध पाउडर और सोयाबीन तेल से तैयार मिलावटी पनीर की सप्लाई की जाती है। खाद्य सुरक्षा टीम ने मौके से पनीर के नमूने लेकर जांच के लिए भेजे तथा शेष 300 किलो मिलावटी पनीर को नष्ट करवाया।

खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिकारियों ने बताया कि त्योहारी और विवाह सीजन में पनीर की बढ़ती मांग को देखते हुए मिलावट की आशंका भी बढ़ जाती है। ऐसे में उच्चाधिकारियों के निर्देशानुसार जिले में औचक निरीक्षण और सख्त कार्रवाई लगातार जारी रहेगी।

जोधपुर में एक ऑफिस और 79 दुकानें सीज

जोधपुर, 10 फरवरी (वेबवार्ता)। जोधपुर में नगर निगम ने यूडी टैक्स बकाया नहीं चुकाने वालों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक ऑफिस और 79 दुकानों को सीज कर दिया। करीब 50 लाख रुपए का शहरी विकास (यूडी) टैक्स लंबे समय से बकाया था। बार-बार नोटिस देने के बावजूद राशि जमा नहीं कराने पर निगम की टीम ने मौके पर पहुंचकर ताले जड़ दिए। कार्रवाई के दौरान क्षेत्र में हड़कंप मच गया। नगर निगम ने कायस्थ जनरल सभा परिसर में संचालित सर प्रताप लॉ कॉलेज और परिसर की दुकानों पर कार्रवाई को अंजाम दिया। निगम ने कॉलेज में स्टूडेंट्स के मिड टर्म एग्जाम के चलते कॉलेज में कमरों को सीज नहीं किया। वहीं परिसर में बने ऑफिस को सीज किया गया। साथ ही परिसर के आगे की तरफ महात्मा गांधी रोड पर बनी करीब 79 दुकानों को भी सीज किया गया है। संस्था पर 49 लाख 47 हजार 37 रुपए का यूडी टैक्स वर्ष 2017 से बकाया है। अलग-अलग बिल देने के लिए निगम से की थी रिक्वेस्ट कार्रवाई के बाद कायस्थ जनरल सभा के अध्यक्ष नरेश माथुर ने बताया कि परिसर में तीन अलग-अलग बिल आ रहे थे। एक इंस्टीट्यूशनल, एक रेजिडेंशियल और एक कमर्शियल। हमने निगम से रिक्वेस्ट की थी कि इन बिल को अलग-अलग दिया जाए। लेकिन निगम ने सभी को एक करके सीज की कार्रवाई की है। इस संबंध में निगम आयुक्त से बात की है।

किफ्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड
सार्वजनिक सूचना
शाखा कार्यालय का स्थानांतरण

किफ्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, जिसका पंजीकृत कार्यालय छठी मंजिल, किफ्स कॉर्पोरेट हाउस, होटल प्लैनेट लैंडमार्क के बगल में, अशोक वाटिका बीआरटीएस के पास, इस्कॉन-अंबली रोड, अंबली, अहमदाबाद, गुजरात-380058 में और कॉर्पोरेट कार्यालय सी-902, लोटस कॉर्पोरेट पार्क, ग्राहम फर्थ कंपाउंड, वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे, गोरेगांव (पूर्व), मुंबई-400063 में स्थित है, अपने ग्राहकों और संबंधित पक्षों को सूचित करता है कि अचानक व्यावसायिक आवश्यकता के कारण, इसका कार्यालय जो **पहली मंजिल, संस्कृति टावर, प्लॉट नंबर 05, लाइट नंबर 03, मसूरिया, चांद खान पेट्रोल पंप के पास, चौपसनी रोड, जोधपुर, राजस्थान-342006** में स्थित है, **13 मई, 2026** से बंद रहेगा। सभी मौजूदा सेवाएं कंपनी के नए शाखा कार्यालय में उपलब्ध होंगी जो **चौथी मंजिल, ओम सरस्वती टावर्स, बॉम्बे मोटर्स, चौपसनी रोड, जोधपुर, राजस्थान-342006** में स्थित है। सभी ग्राहक और संबंधित पक्ष इस सूचना से अवगत हैं। कृपया शाखा के स्थानांतरण पर ध्यान दें और उसके बाद हमारे पते, चौथी मंजिल, ओम सरस्वती टावर्स, बॉम्बे मोटर्स, चौपासानी रोड, जोधपुर, राजस्थान-342006 पर संपर्क करें।

किफ्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड
सी-902, लोटस कॉर्पोरेट पार्क,
ग्राहम फर्थ कंपाउंड,
वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे,
गोरेगांव (पूर्व), मुंबई- 400063
दूरभाष: +91 22 61796400
दिनांक: 11/02/2026

पीराग‌ढ़ी केसः चालक के बगल वाली सीट पर भी था कोई, घटना के बाद से गायब, तीन की मौत

नई दिल्ली,वेब वार्ता। पीरागढ़ी फ्लाईओवर पर टाटा टिएगो कार में रहस्यमयी तरीके से तीन शव मिलने के बाद अब पुलिस चौथे व्यक्ति की तलाश कर रही है। पुलिस सूत्रों का दावा है कि मौत से पहले कार में चार लोग मौजूद थे। कार चालक की बगल वाली सीट पर भी कोई था, लेकिन घटना के बाद से वह गायब है।

अब ये मामला सामूहिक आत्महत्या से निकलकर साजिश और सुनियोजित अपराध की ओर बढ़ गया है। रविवार को फ्लाईओवर पर खड़ी कार से 76 वर्षीय रणधीर सिंह, 40 वर्षीय शिव नरेश और एक महिला का शव मिला था। पुलिस को शुरुआती जांच में लूट या संघर्ष के कोई संकेत नहीं मिले। कार में रखे मोबाइल फोन और महिला के गहने सुरक्षित मिले, जिससे पुलिस ने लूट की संभावना को सिरे से खारिज कर दिया। लेकिन जैसे-जैसे जांच आगे बढ़ी, चौथे आदमी की मौजूदगी की बात सामने आते ही पूरा केस नए सवालों के घेरे में आ गया।

सीसीटीवी कैमरे खंगाले जा रहे: बाहरी जिले के डीसीटी सचिन शर्मा ने बताया कि घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों को देखा जा रहा है। कार बापरौला की तरफ से आ रही थी। कार की आवाजाही वाले मार्गों पर भी सीसीटीवी कैमरों को रेखा जा रहा है। घटनास्थल से पुलिस को तीन गिलास और कोल्ड ड्रिंक की एक बोतल मिली थी, जिनसे तीखी और संदिग्ध गंध आ रही थी। पुलिस ने फोरेंसिक जांच के लिए गिलास और बोतल भेज दिए हैं।

यमुना के डूब क्षेत्र में बहुमंजिला निर्माण का आरोप

नई दिल्ली, 10 फरवरी (वेब वार्ता)। यमुना नदी के डूब क्षेत्र में कथित रूप से बहुमंजिला इमारत के निर्माण को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। इस मामले में राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने कड़ा रुख अपनाते हुए दिल्ली नगर निगम, दिल्ली विकास प्राधिकरण और अन्य संबंधित विभागों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। अधिकरण ने कहा है कि यह मामला पर्यावरणीय मानकों के पालन से जुड़ा एक महत्वपूर्ण विषय है।

राष्ट्रीय हरित अधिकरण की प्रधान पीठ, जिसकी अध्यक्षता न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव कर रहे हैं तथा जिसमें विशेषज्ञ सदस्य डॉ. ए. सेंथिल वेल भी शामिल हैं, ने दिल्ली नगर निगम, संबंधित जिला मजिस्ट्रेट, दिल्ली विकास प्राधिकरण और दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति को हलफनामे के रूप में विस्तृत जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। मजनूं का टीला क्षेत्र में अवैध निर्माण का आरोप यह मामला वजीराबाद गांव निवासी रोहित त्यागी द्वारा 13 अगस्त 2025 को भेजी गई पत्र याचिका के आधार पर दर्ज किया गया है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि मजनूं का टीला क्षेत्र में यमुना नदी के डूब क्षेत्र पर अतिक्रमण कर बहुमंजिला इमारत का निर्माण किया जा रहा है, जो पर्यावरणीय नियमों का खुला उल्लंघन है। अधिकरण ने जिला मजिस्ट्रेट को निर्देश दिए हैं कि वे कथित निर्माण के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों का विवरण प्रस्तुत करें और यह स्पष्ट करें कि संबंधित ढांचा वास्तव में यमुना नदी के बाढ़ अथवा डूब क्षेत्र में आता है या नहीं। हरित पट्टी और मास्टर प्लान का उल्लंघन याचिका के अनुसार, जिस भूमि पर निर्माण किया जा रहा है, वह हरित पट्टी क्षेत्र में आती है और दिल्ली मास्टर प्लान 2021 के अंतर्गत 'ओ' क्षेत्र के रूप में चिह्नित है। इस श्रेणी में किसी भी प्रकार के स्थायी निर्माण की अनुमति नहीं है। अधिकरण ने प्रारंभिक रूप से माना है कि यदि आरोप सही पाए जाते हैं, तो यह एक गंभीर पर्यावरणीय उल्लंघन का मामला बनता है। अगली सुनवाई अप्रैल में राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने संबंधित सभी प्रतिवादियों को नोटिस जारी करने के निर्देश देते हुए मामले की अगली सुनवाई 20 अप्रैल 2026 को निर्धारित की है। अधिकरण ने स्पष्ट किया है कि यमुना के डूब क्षेत्र में किसी भी प्रकार का अवैध निर्माण न केवल पर्यावरण के लिए खतरा है, बल्कि नदी की प्राकृतिक धारा और बाढ़ प्रबंधन व्यवस्था को भी प्रभावित कर सकता है। इस मामले पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं, क्योंकि इसका सीधा संबंध राजधानी में पर्यावरण संरक्षण और नियमों के सख्त पालन से जुड़ा हुआ है।

तिरुअनंतपुरम में महिला पुरुष की और पुरुष महिला की नहीं कर सकेंगे मसाज

तिरुअनंतपुरम,वेब वार्ता। तिरुअनंतपुरम नगर निगम के महापौर वीवी राजेश ने सोमवार को स्पा केंद्रों में क्रॉस-मसाजिंग के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने कहा कि यह स्थानीय संस्कृति के खिलाफ है और राजधानी में इसकी अनुमति नहीं दी जा सकती। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर समय रहते प्रभावी हस्तक्षेप नहीं हुआ, तो शहर की संस्कृति पर इसका नकारात्मक असर पड़ सकता है। भाजपा महापौर की यह टिप्पणी राजधानी में अवैध गतिविधियों में संलिप्त स्पा केंद्रों खासतौर पर क्रॉस-मसाजिंग के खिलाफ विशेष अभियान की घोषणा के एक दिन बाद आई। यह कदम पथानामथिट्टा जिले के तिरुवल्ला में हुई हालिया घटना के बाद उठाया गया,

जहां एक गैंग्सटर ने पैसे देने से इनकार करने पर एक स्पा कर्मचारी से दुष्कर्म किया था। महापौर ने बताया कि पहले चरण में शहर सीमा के भीतर संचालित सभी स्पा केंद्रों की जोनवार जांच की जाएगी। इसमें दस्तावेजों की सत्यता, लाइसेंस और अनुमत गतिविधियों का सत्यापन शामिल होगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि अगर कानून के अनुसार किसी स्पा में योग्य मसाज थेरेपिस्ट की अनिवार्यता है और वह मौजूद नहीं है, तो इसे अवैध माना जाएगा। महापौर ने कहा कि महिलाओं द्वारा पुरुषों और पुरुषों द्वारा महिलाओं की मसाज से अलग तरह की संस्कृति को बढ़ावा मिलता है, जिसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। अगर कोई गतिविधि कानूनन वैध है, तो हस्तक्षेप की जरूरत नहीं लेकिन अवैधता पर सख्त कार्रवाई होगी।

स्पा कर्मी में दुष्कर्म मामले में एक और गिरफ्तारः पथनमथिट्टा के तिरुवल्ला में एक गैंग्सटर द्वारा स्पा कर्मी से दुष्कर्म मामले में पुलिस ने एक और आरोपित को गिरफ्तार किया है।

चार मूर्ति चौक पर अंडरपास जून में शुरू होने की उम्मीद, ग्रेटर नोएडा से गाजियाबाद तक मिलेगी

ग्रेटर नोएडा,वेब वार्ता। ग्रेटर नोएडा वेस्ट में चार मूर्ति/गौड चौक पर निर्माणाधीन अंडरपास का काम करीब 60 फीसदी पूरा हो चुका है। जून तक इसके शुरू होने की उम्मीद है। ऐसे में नियमित रूप से निगरानी की जा रही है। अगले कुछ दिनों में सीवर लाइन के स्थानांतरित होने पर काम में और तेजी आएगी।

प्राधिकरण के परियोजना विभाग के अधिकारी के मुताबिक, 720 मीटर लंबे अंडरपास में से 320 मीटर का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। बाकी बचे हिस्से में खुदाई, शटरिंग, ऊपरी छत, सुरक्षा दीवार आदि कार्य किए जा रहे हैं। परियोजना के रास्ते में आ रही सीवर लाइन अब तक स्थानांतरित नहीं हो सकी है। ऐसे में कार्यदायी संस्था को काम करने में दिक्कत आ रही है। इसको देखते हुए सीवर लाइन को स्थानांतरित करने की प्रक्रिया चल रही है।

अब तक करीब 60 फीसदी काम पूरा : उम्मीद है कि आगामी कुछ दिनों में सीवर लाइन स्थानांतरित कर दी जाएगी। ग्रेटर नोएडा वेस्ट के लिए अंडरपास को आगामी जून तक शुरू करने की तैयारी है। परियोजना को समय से पूरा किया जा सके, इसके लिए उच्चाधिकारियों द्वारा नियमित रूप से निगरानी की जा रही है। वरिष्ठ प्रबंधक प्रभात शंकर ने बताया कि अब तक करीब 60 फीसदी काम पूरा हो चुका है। बाकी बचे काम को भी समय से पूरा करने का प्रयास है।

इस रूट पर चलने वालों को होगा फायदा : ग्रेटर नोएडा वेस्ट में जाम की समस्या को खत्म करने के लिए चारमूर्ति चौक पर अंडरपास बनाया जा रहा है। इसके बनकर तैयार होने पर सूरजपुर से गाजियाबाद जाने वाले और गाजियाबाद से सूरजपुर जाने वाले वाहन अंडरपास का उपयोग कर आवाजाही कर सकेंगे।

रवि कुमार एनजी, सीईओ, ग्रेटर नोएडा, चारमूर्ति चौक पर बन रहे अंडरपास का काम समय से पूरा किया जाएगा। परियोजना विभाग के अधिकारियो को इस संबंध में दिशा-निर्देश दिए गए हैं। अंडरपास के शुरू होने पर ग्रेटर नोएडा वेस्ट में जाम की समस्या से काफी हद तक निजात मिल जाएगी।

स्काईवॉक का अधूरा काम एक महीने बाद पूरा होगा : वहीं, नोएडा सेक्टर-51-52 मेट्रो स्टेशन के बीच बन रहे स्काईवॉक को शुरू होने में अभी एक महीने से अधिक का समय लगेगा। सेक्टर-51 मेट्रो स्टेशन से जुड़ने वाले स्थान पर काम अधूरा है। यहां आड़े आ रही स्टेशन इमारत की बीम हटाने के लिए स्ट्रक्चरल परीक्षण कराया गया है। इस बीम पर इमारत का भार भी है। इसको हटाकर ऊपर दूसरी बीम बनाकर भार डालने के लिए प्राधिकरण ने स्ट्रक्चरल परीक्षण करवाया है। अब काम शुरू हो गया है, लेकिन पूरा होने में अभी समय लगेगा।

प्राधिकरण के सीईओ कृष्ण करुणेश ने सोमवार को इस मामले में अधिकारियों से जानकारी ली। अधिकारियों ने बताया कि जून-2023 में स्काईवॉक का काम शुरू किया गया था। पांच महीने में पूरा होना था। खास बात यह है कि स्काईवॉक का काम तो पूरा हो गया, लेकिन सेक्टर-51 की तरफ जिस हिस्से में यह जोड़ा जाना है।

जनकपुरी हादसे में आरोपी की रिमांड बढ़ी

नई दिल्ली, 10 फरवरी (वेब वार्ता)। दिल्ली के जनकपुरी इलाके में दिल्ली जल बोर्ड के गड्ढे में गिरकर 25 वर्षीय युवक कमल ध्यानी की मौत के मामले में कार्रवाई तेज हो गई है। स्थानीय अदालत ने मुख्य आरोपी राजेश कुमार प्रजापति की पुलिस रिमांड एक दिन के लिए और बढ़ा दी है, ताकि उससे आगे की पूछताछ की जा सके। आरोप है कि सब-कॉन्ट्रैक्टर राजेश प्रजापति ने युवक को करीब 20 फीट गहरे गड्ढे में बाइक समेत गिरा हुआ देखने के बावजूद मदद नहीं की और न ही पुलिस को सूचना दी। अदालत ने मामले में फरार बताए जा रहे मुख्य ठेकेदार फर्म से जुड़े हिमांशु गुप्ता और कविश गुप्ता के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किए हैं। पुलिस लापरवाही, सुरक्षा मानकों की अनदेखी और जिम्मेदारी तय करने की कड़ी की जांच कर रही है और आगे और गिरफ्तारियां होने की संभावना जताई जा रही है। उल्लेखनीय है।

बवाना में दिनदहाड़े कारोबारी की गोली मारकर हत्या

नई दिल्ली, 10 फरवरी (वेब वार्ता)। राजधानी दिल्ली में बदमाशों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि दिनदहाड़े एक प्लास्टिक कारोबारी की गोली मारकर हत्या कर दी है। इस वारदात को बाहरी दिल्ली के बवाना इलाके में तीन से चार बाइक सवार लोगों अंजाम दिया है। बताया जा रहा कि बदमाशों ने लूट के इरादे से पहले कारोबारी का पीछा किया, विरोध करने पर बदमाशों ने बीच सड़क कारोबारी को दौड़ाकर गोली मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। दिल्ली पुलिस के अनुसार, बाइक सवार तीन से चार बदमाशों ने कारोबारी का पीछा किया फिर उस पर फायरिंग कर दी। गोली लगने से उसकी मौत हो गई। पुलिस ने आशंका जताई है कि यह वारदात लूट के इरादे से की गई, जो बाद में हत्या में तब्दील हो गई। यह घटना दोपहर करीब 1 बजे की बताई जा रही है। सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही पुलिस सोमवार दोपहर मर्डर की सूचना मिलते ही पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है।

DhanlaxmiBank established 1927

धनलक्ष्मी बैंक लिमिटेड
क्षेत्रीय कार्यालय, 10185ए, दूसरी मंजिल,
आर्य समाज रोड, करोल बाग,
नई दिल्ली-110005

क्षेत्रीय कार्यालयः नई दिल्ली, **कॉर्पोरेट कार्यालयः त्रिशूर**

कब्ज़ा सूचना (अचल संपत्ति के लिए) [नियम 8(1) देखें]

जबकि अधोहस्ताक्षरी, धनलक्ष्मी बैंक लिमिटेड के अधिकृत अधिकारी होने के नाते, वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा सुरक्षा हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (54 ऑफ 2002) के तहत और धारा 13(12) के साथ नियम 3 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के तहत दिनांक 13/10/2025 को उधारकर्ताओं को मांग नोटिस जारी किया:

1. मैसर्स विजय श्री ट्रेडिंग कंपनी (प्रो. श्री विजय राज)
मोहन नगर, बीजेएस कॉलोनी, जोधपुर, राजस्थान, 342001
2. श्री विजय राज पुत्र भागा राम
43, विजय नगर, बासनी, जोधपुर, राजस्थान, 342005
3. श्रीमती लीला देवी पत्नी भागा राम
43, विजय नगर, बासनी, बालाजी पार्क के पास, जोधपुर, राजस्थान -342005

नोटिस में जो कि उल्लेखित राशि, रूपये 21,18,424.66 रुपये (इक्कीस लाख अठारह हज़ार चार सौ चौबीस रुपये और छियासठ पैसे मात्र) है, का भुगतान 07/10/2025 की तिथि तक भविष्य के ब्याज सहित किया जाए। उक्त नोटिस की प्राप्ति तिथि से 60 दिनों के भीतर भुगतान करना होगा।

ऋणकर्ता/सह-ऋणकर्ता द्वारा राशि का भुगतान न कर पाने के कारण, ऋणकर्ता/सह-ऋणकर्ता और आम जनता को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (4) के तहत तथा सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए **दिनांक 9 फरवरी, 2026** को नीचे वर्णित संपत्ति पर कब्जा कर लिया है।

उधारकर्ता/सह-उधारकर्ता को विशेष रूप से और आम जनता को इसके द्वारा आगाह किया जाता है कि वे संपत्ति से संबंधित कोई भी लेन-देन न करें और संपत्ति से संबंधित कोई भी लेन-देन धनलक्ष्मी बैंक लिमिटेड द्वारा 21,18,424.66 रुपये (सिर्फ इक्कीस लाख अठारह हजार चार सौ चौबीस रुपये और छियासठ पैसे) की राशि के प्रभार के अधीन होगा, जो 07/10/2025 तक लागू होगा, साथ ही उस पर ब्याज और अन्य प्रभार भी लागू होंगे।

उधारकर्ता का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है, जो गिरवी रखी गई संपत्तियों को छुड़ाने के लिए उपलब्ध समय से संबंधित हैं।

अचल संपत्ति का विवरण:

आवासीय मकान खसरा नंबर 36, 38, प्लॉट नंबर 43, विजय नगर योजना, ग्राम कुड़ी, बासनी जोधपुर राजस्थान में स्थित है। श्रीमती लीला देवी, स्वर्गीय भागा राम की पत्नी के नाम पर 25*50 = 1250 वर्ग फुट (138.88 वर्ग मीटर) का क्षेत्रफल।

सीमाएँ: पूर्व: प्लॉट क्रमांक 28, पश्चिम: सड़क (30 फीट) उत्तर: प्लॉट क्रमांक 42, दक्षिण: प्लॉट क्र मांक 44

दिनांक: 09.02.2026, स्थान: दिल्ली **अधिकृत अधिकारी, धनलक्ष्मी बैंक लिमिटेड**

APACFIN

एपीएसी फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
पंजीकृत कार्यालय: कार्यालय संख्या 501, पांचवीं मंजिल, साउथ एनेक्स, टावर 2, वन वर्ल्ड सेंटर, सेनापति बापट मार्ग, लोअर परेल, मुंबई - 400013

अचल संपत्तियों की बिक्री के लिए बिक्री सूचना

अचल संपत्ति(यों) [''सुरक्षित संपत्ति(यों)''] की बिक्री के लिए 15 दिनों की दूसरी ई-नीलामी बिक्री सूचना, जो कि वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा सुरक्षा हित के प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत आती है, और सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 और 9 के परंतुक के साथ पढ़ी जाती है।

आम जनता और विशेष रूप से उधारकर्ता(ओं) और गारंटर(ओं) को सूचित किया जाता है कि नीचे वर्णित **एपीएसी फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड (''सुरक्षित लेनदार'')** के पास गिरवी रखी गई/बंधक रखी गई सुरक्षित संपत्ति(संपत्तियां), जिसका कब्जा सुरक्षित लेनदार के अधिकृत अधिकारी द्वारा ले लिया गया है, को नीचे उल्लेखित तिथि और समय पर **''जैसा है वैसा ही'', ''जहां है वहीं है'' और ''जो कुछ भी उपलब्ध है''** के आधार पर बेचा जाएगा, ताकि नीचे उल्लेखित बकाया राशि और उस पर देय राशि की वसूली की तिथि तक लगने वाले ब्याज और अन्य खर्चों की वसूली की जा सके, जो नीचे उल्लेखित उधारकर्ता(ओं) और गारंटर(ओं) से सुरक्षित लेनदार को देय हैं। आरक्षित मूल्य, बयाना राशि (ईएमडी) और ईएमडी जमा करने की अंतिम तिथि भी नीचे उल्लेखित हैं:

ऋणकर्ता/गारंटर का विवरण	मांग नोटिस का विवरण	नीलामी का विवरण	
1. सुराब खान 2. दुआद खान 3. जरीना खान ऋण खाता संख्या: SBLPJAS00070410	नोटिस की तिथि: 20.11.2025	आरक्षित मूल्य:	रू. 18,56,400/-
		ईएमडी:	रू. 2,78,460/-
		ईएमडी जमा करने की अंतिम तिथि:	12-03-2026
	बकाया राशि: रुपये 20,13,424.39/- (दिनांक 20-11-2025 तक)	निरीक्षण तिथि:	26-02-2026 और 27.02.2026
		नीलामी तिथि:	13-03-2026
		नीलामी का समय:	शाम 5 बजे से शाम 6 बजे तक
		वृद्धि मूल्य:	रू. 1,00,000/-

सुरक्षित परिसंपत्ति(यों) का विवरण: वे सभी टुकड़े और पार्सल जो पट्टा संख्या 77, बुक संख्या 60, पट्टा संख्या 69, बुक संख्या 60, ग्राम-रोजानियों की बस्ती, ग्राम पंचायत: सागरो की बस्ती, जिला: जैसलमेर, राजस्थान - 345001, सीमाएँ: पूर्व: 20 फीट गली, दक्षिण: खुला मैदान, फिर इस्मयाल खान, पश्चिम: आंगनबाड़ी केंद्र, उत्तर: खुला मैदान।

बिक्री के विस्तृत नियम और शर्तों के लिए, कृपया APAC Financial Services Private Limited / सुरक्षित लेनदार की वेबसाइट पर दिए गए लिंक को देखें, यानी https://apacfin.comĐ कृपया नीचे दिए गए ईमेल: contactus@apafin.com पते पर संपर्क करें।

हस्ताक्षर/- मुकेश यादव
दिनांक: 10.02.2026 **अधिकृत अधिकारी**
स्थान: जैसलमेर, राजस्थान **एपीएसी फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के लिए**

pnb Housing Finance Limited Ghar Ki Baat

परिशिष्ट -4-क
अचल सम्पत्ति(यों) की ई-नीलामी बिक्री सूचना
वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के साथ पठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 8(6) के परंतुक के तहत अचल आस्तियों की बिक्री हेतु ई-नीलामी बिक्री सूचना

पंजीकृत कार्यालयः - 9 वीं मंजिल, अंतरिक्ष भवन, 22, के जी मार्ग, नई दिल्ली -110001 फोनः - 011-23357171, 23357172, 23705414, **वेबसाइटः www.pnbhousing.com**
जोधपुर शाखाः पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, प्लॉट-17, तृतीय तल, के.पी. टावर, अपर चोपासनी रोड, बॉम्बे मोटर सर्कल के पास, बलदेव नगर, जोधपुर राजस्थान-342003

एतद्द्वारा सर्व साधारण को और विशेष रूप से कालम नंबर -ए में निदर्शित कर्जदार(रों) एवं गारंटर(रों) को सूचना दी जाती है कि प्रत्याभूत लेनदार के पास बंधक/प्रभारित कालम नंबर-डी में वर्णित अचल सम्पत्ति(यां), जिसका प्रलक्षित/भौतिक कब्जा पीएनबी हाउसिंग फाईनैंस लिमिटेड (पीएनबी एचएफएल)/प्रत्याभूत लेनदार के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्राप्त किया जा चुका है (कालम नंबर-सी में वर्णितानुसार) नीचे दिए विवरण के अनुसार **"जैसी है जहां है", जैसी है जो है"** तथा **"जो भी है वहां है"** आधार पर बेची जाएंगी। एतद्द्वारा कालम नंबर -ए में निदर्शित कर्जदार(रों)/बंधकदाता(ओं)/संबंधित कर्जदार(रों)/बंधकदाता(ओं) (मृत्योपरान्त) के कानूनी वारिसों, कानूनी प्रतिनिधियों, (चाहे ज्ञात अथवा अज्ञात), निष्पादक(कों), प्रशासक(कों), उत्तराधिकारी(यों), समनुदेशिती(यों) को, जैसी भी स्थिति है, प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियमावली, 2002 अद्यतन संशोधित के नियम 8(6) एवं 9 के तहत सूचना दी जाती है।

बिक्री के विस्तृत नियम एवं शर्तों के लिए, कृपया मैसर्स पीएनबी हाउसिंग फाईनैंस लिमिटेड, प्रतिभूत लेनदार की वेबसाइट नामतः **www.pnbhousing.com** में उपलब्ध कराया गया लिंक देखें।

ऋण संख्या, कर्जदार/सह-कर्जदार का नाम गारंटर(s) (ए)	मांग सूचना मांग की राशि और तारीख (बी)	कब्जा का प्रकार (सी)	बंधक रखी सम्पत्तियों का विवरण (डी)	आरक्षित मूल्य (आरपी) (ई)	ईएमडी (आरपी का 10%) (एफ)	बोली प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि (जी)	बोली वृद्धि राशि (एच)	निरीक्षण की तिथि एवं समय (आई)	नीलामी की तिथि एवं समय (जे)	ज्ञात ऋणभार/न्यायालय मामला, यदि कोई, (के)
HOU/JDH/0924/1304576, बी.ओ.: जोधपुर, खुशबू, लक्ष्मण दास	**06.08.2025 तक रु. 29,25,498.63**	**भौतिक कब्जा**	प्लॉट नं.25, खसरा नं.435/3, विनायक विहार योजना, ग्राम झालामंड, जोधपुर, राजस्थान-342001, भारत।	**रु. 2538000**	**रु. 253800**	**26.02.2026**	**रु. 10,000**	**16.02.2026 पूर्वा. 10.00 बजे से अप. 5:30 बजे**	**27.02.2026 अप. 02.00 बजे से अप. 03:00 बजे**	**Not Known**

*उसके भुगतान तथा/अथवा वसूली की तिथि तक लागू अनुसार 18 प्रतिशत वार्षिक की दर पर भावी ब्याज, उपगत किए गए अनुषंगी खर्चों, लागत, प्रभारों इत्यादि सहित। ''पीएनबी हाउसिंग फाइनैंस लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी के सर्वश्रेष्ठ ज्ञान और जानकारी के अनुसार, उपरिवर्णित अचल/प्रतिभूत आस्तियों के संबंध में कोई अन्य ऋणभार/दावे नहीं हैं, सिवाय उनके जो कालम नंबर-के में वर्णित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त इन ऋणभारों का भुगतान/अदायगी सफल क्रेता/बोलीदाता द्वारा उसकी अपनी व्यवस्था द्वारा की जाएगी। सफल क्रेता(ओं)/बोलीदाताओं से वर्णित ऋणभारों की सत्यता का अभिनिश्चयन स्वतंत्र रूप से करने का अनुरोध किया जाता है। **1.** आज की तिथि तक, पीएनबीएचएफएल/पीएनबीएचएफएल के प्राधिकृत अधिकारी पर उपरोक्त अचल सम्पत्तियों/प्रतिभूत आस्तियों की बिक्री, हस्तांतरण तथा/अथवा निपटान के संबंध में कोई प्रतिबंध आदेश तथा/अथवा न्यायालय निषेधादेश लागू नहीं है। **2.** संभावित क्रेता/बोलीदाता तथा इच्छुक पार्टियां कालम नंबर-के में वर्णित, कार्यवाही/पारित आदेश इत्यादि, यदि कोई, में बहस, जिसमें पीएनबीएचएफएल के पास उपलब्ध उसके स्वामित्व के साथ संबंधित दस्तावेजों का शीर्षक शामिल है परंतु उसी तक सीमित नहीं है, का निरीक्षण स्वतंत्र रूप से कर सकती हैं तथा सभी संदर्भों में अपनी संतुष्टि अपनी निविदा/बोली आवेदन प्रस्तुत करने अथवा ऑफर(र्स) प्रस्तुत करने से पहले कर सकती हैं। बोलीदाता(ओं) को बोली प्रपत्र के साथ इस नीलामी के नियमों और शर्तों पर हस्ताक्षर करने होंगे। **3.** कृपया ध्यान दें कि प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 9(3) के अनुसार, बोलीदाता/खरीदार कानूनी रूप से बिक्री मूल्य की राशि का 25% (ब्याना सहित) जमा करने के लिए बाध्य है। पैसा, यदि कोई हो, जमा किया गया) उसी दिन या अगले कार्य दिवस की तुलना में बाद में नहीं। सुरक्षा ब्याज (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 9(2) के अनुसार सुरक्षित लेनदार द्वारा बिक्री मूल्य का 25% प्राप्त करने के बाद ही (बोली लगाने वाले) के पक्ष में बिक्री की पुष्टि की जा सकती है। शेष 75% बिक्री पुष्टि पत्र की पावती की तारीख से 15 दिनों के भीतर क्रेता द्वारा बिक्री प्रतिफल राशि जमा करनी होगी और इस तरह की जमा राशि के डिफॉल्ट होने पर, संपत्ति / सुरक्षित संपत्ति को फिर से बेचा जाएगा। **4. मैसर्स सी 1 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड** ई-नीलामी के माध्यम से बिक्री संचालन में प्राधिकृत अधिकारी कार्पोरेट कार्यालय पता : प्लॉट नंबर 68, तृतीय तल, सेक्टर-44, गुरूग्राम, हरियाणा-122003 वेबसाइट-**www.bankeauctions.com** सहायता करेगी। संपत्ति के निरीक्षण या बोली दस्तावेज प्राप्त करने और किसी अन्य प्रश्न या पंजीकरण से संबंधित किसी भी सहायता के लिए, पीएनबीएचएफएल प्राधिकृत अधिकारी **दुर्गा शेखावत, संपर्क नंबर 1800120 8800**, या सी 1 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड अथवा **www.pnbhousing.com** पर देखें।

स्थान : राजस्थान, दिनांक : 11.02.2026 **प्राधिकृत अधिकारी, मैसर्स पीएनबी हाउसिंग फाइनैंस लिमिटेड**

स्वत्वाधिकारी स्वामी, प्रकाशक व मुद्रक युवराज सिंह के लिए माणक ऑफसेट प्रिन्टर्स, एम.जी.एच. रोड, जोधपुर से मुद्रित व प्लॉट नं. 104, भगत की कोठी, न्यू पाली रोड, जयश्री स्कूल के पास, जोधपुर से प्रकाशित। सम्पादक युवराज सिंह, पत्रों में लेखकों द्वारा व्यक्त किये गये विचारों से सम्पादक एवं प्रकाशक की सहमति अनिवार्य नहीं है। न्यायालय सम्बन्धी सभी मामले जयपुर में निपटाये जायेगें। प्रकाशक की लिखित अनुमति के बिना पूर्णतः व आंशिक व पूर्ण प्रकाशन पूर्णतः प्रतिबन्धित है। सम्पादक-युवराज सिंह मोबाईल नम्बर : 9829410051 ई-मेलः yuvrajsinghh@gmail.com